भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5521

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है।

16 चैत्र, 1944 (शक)

अवसंरचना पर साइबर हमले

5521. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी :

श्रीमती चिंता अनुराधा:

श्री संजय काका पाटील:

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

श्री मद्दीला गुरूमूर्ति:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की महत्वपूर्ण अवसंरचनाएं जिसमें गैस-पानी आपूर्ति तथा सुरक्षा प्रतिष्ठान शामिल हैं, साइबर हमले के निशाने पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में साइबर हमले की कितनी घटनाएं दर्ज की गई हैं ;

(ग) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल के समान इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों हेतु साइबर-सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) देश में साइबर हमलों को रोकने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख): सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट सभी उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह हो। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) को भारत में साइबर सुरक्षा की घटनाओं पर नज़र रखने और निगरानी करने का काम सौंपा गया है। सीईआरटी-इन ने सूचित किया है कि वर्ष 2021 और 2022 (फरवरी तक) के दौरान क्रमशः 14,02809 और 21,2485 साइबर सुरक्षा घटनाएं हुई हैं।

(ग) और (घ): सरकार ने निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम पहल की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

i. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सूचना सुरक्षा, सरकारी कर्मियों के प्रशिक्षण और जन सूचना सुरक्षा जागरूकता के निर्माण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के उद्देश्य से 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता' (आईएसईए) कार्यक्रम लागू किया है। यह परियोजना औपचारिक और गैर-औपचारिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से देश भर में 52 शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ क्रियान्वित की जा रही है।

सूचना सुरक्षा के बारे में बच्चों, माता-पिता और सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट पुस्तकें, वीडियो और ऑनलाइन सामग्री विकसित की जाती हैं, जिन्हें "www.infosecawareness.in" और " www.cyberswachhtakendra.gov.in" जैसे पोर्टलों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

ii. एमईआईटीवाई केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए साइबर सुरक्षा में सामान्य प्रशिक्षण (जागरूकता स्तर) और नींव प्रशिक्षण (उन्नत स्तर) ऑनलाइन प्रदान करता है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कुल 10177 अधिकारियों/कर्मचारियों ने सामान्य प्रशिक्षण (जागरूकता स्तर) में भाग लिया है और 605 अधिकारियों/कर्मचारियों ने सफलतापूर्वक नींव प्रशिक्षण (उन्नत स्तर) पूरा किया है।
iii. एमईआईटीवाई मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) और केंद्र/राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), पीएसयू बैंकों और सरकारी संगठनों के प्रमुख आईटी अधिकारियों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में उद्योग संघ के सहयोग से साइबर सुरक्षा पर गहन प्रशिक्षण आयोजित करता है। ताकि वे साइबर सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो सकें।
iv. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) आईटी अवसंरचना को सुरक्षित करने और साइबर हमलों को कम करने के संबंध में सरकार और महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों के नेटवर्क / सिस्टम प्रशासकों और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2020 और 2021 के दौरान क्रमशः 708 और 5169 प्रतिभागियों को कवर करते हुए 15 और 19 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
v. साइबर सुरक्षा अभ्यास और अभ्यास सीईआरटी-इन द्वारा नियमित रूप से क्षमता निर्माण के लिए आयोजित किए जाते हैं और साइबर सुरक्षा मुद्रा और सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों की तैयारी के आकलन को सक्षम करने के लिए। सीईआरटी-द्वारा अब तक 64 ऐसे अभ्यास किए गए हैं जिनमें विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के 820 संगठनों ने भाग लिया।
vi. सीईआरटी-इन मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा खतरे के परिदृश्य के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने और उन्हें साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार करने और लागू करने में सक्षम बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता है। सीईआरटी-इन द्वारा फरवरी 2022 तक 128 सीसीएमपी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इनमें से 31 सीसीएमपी कार्यशालाएं वर्ष 2021 के दौरान आयोजित की गईं।
vii. विद्युत क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र की उपयोगिताओं के कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) जैसे नामित संस्थानों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं।

viii. विद्युत क्षेत्र की उपयोगिताओं के सभी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) / परिचालन प्रौद्योगिकी (ओटी) कर्मियों और अन्य हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों और सत्रों के अलावा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

(ङ): सरकार पूरी तरह से संज्ञान में है और विभिन्न साइबर सुरक्षा खतरों से अवगत है; और साइबर सुरक्षा मुद्रा को बढ़ाने और साइबर हमलों को रोकने के लिए निम्नलिखित अन्य उपाय किए हैं:

i. भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) डिजिटल तकनीकों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर नवीनतम साइबर खतरों और जवाबी उपायों के बारे में अलर्ट और सलाह जारी करती है। सीईआरटी-इन ने डेटा सुरक्षा और धोखाधड़ी गतिविधियों को कम करने के लिए 68 परामर्श जारी किए हैं।
ii. उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप, मोबाइल/स्मार्ट फोन को सुरक्षित रखने और फ़िशिंग हमलों को रोकने के लिए सीईआरटी-इन द्वारा सुरक्षा युक्तियाँ प्रकाशित की जाती हैं।
iii. सर्ट-इनसाइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट सफाई और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र) संचालित करता है। केंद्र दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए मुफ्त उपकरण प्रदान कर रहा है।
iv. सीईआरटी-इन एक स्वचालित साइबर थ्रेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का संचालन करता है, जो उनके द्वारा सक्रिय खतरे को कम करने की कार्रवाई के लिए विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों के साथ लगातार अलर्ट एकत्र करने, विश्लेषण करने और साझा करने के लिए है।
vi. सरकार ने मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के लिए आवेदन / बुनियादी ढांचे और अनुपालन हासिल करने के लिए उनकी प्रमुख भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।
vi. सीईआरटी-इन ने मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में आवश्यक स्थितिजन्य जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) की स्थापना की है। एनसीसीसी का चरण-I चालू है।
vii. सर्ट-इन अंतर्राष्ट्रीय सर्ट, विदेशी संगठनों और सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घटना प्रतिक्रिया उपायों के बारे में सहयोग करता है, कार्य करता है और समन्वय भी करता है।
viii. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) में विश्लेषणात्मक केंद्र वास्तविक समय के खतरे की खूफिया और स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करता है जिसके आधार पर नियमित अलर्ट और टेलर्ड परामर्शी निदेश महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना/संरक्षित प्रणाली निकायों को भेजी जाती है।

******